न्यूज़ टुडे

सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025 अधिसूचित किए

ये नियम **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023** के तहत तैयार किए गए हैं।

- इन नियमों का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (ISOs) में कमान और नियंत्रण की प्रभावशीलता को बढ़ाना है तथा कुशल कार्य-प्रणाली को बढ़ावा देना है। इससे सशस्त्र बलों के बीच **एकजुटता मजबूत** होगी।
- ये नियम **ISOs के प्रमुखों को और अधिक अधिकार प्रदान** करते हैं। इससे **अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा** कर सकेंगे और **प्रक्रियाओं में किसी तरह के दोहराव से बच** सकेंगे।

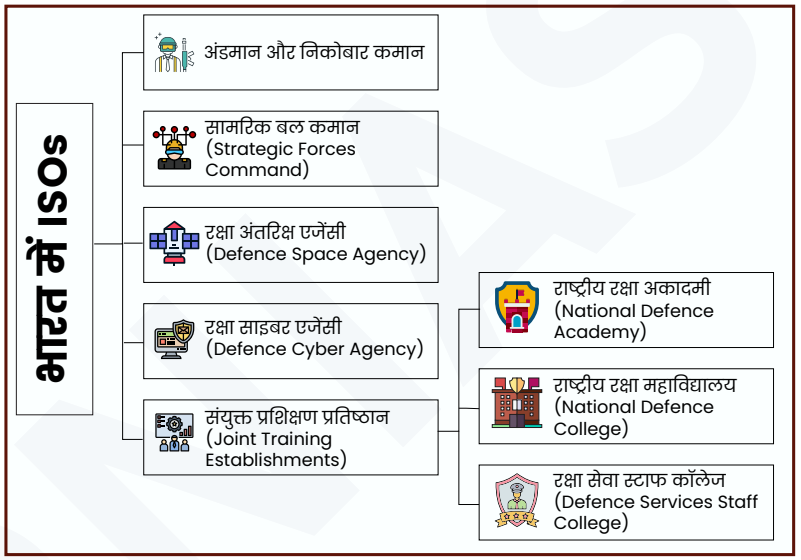

प्रमुख नियमों के बारे में

- **शक्तियां:** संयुक्त सेवा कमान (JSC) के कमांडर-इन-चीफ (CiC), अंतर-सेवा प्रतिष्ठान के ऑफिसर-इन-कमांड (OiC) और अंतर-सेवा इकाई के कमांडिंग ऑफिसर (CO) के पास ISO से जुड़े कार्मिक पर **सभी अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक शक्तियां** होंगी।
- **अवशिष्ट शक्तियां:** कमांडर-इन-चीफ, ऑफिसर-इन-कमांड या कमांडिंग ऑफिसर की शक्तियों से संबंधित सभी **अवशिष्ट मामले केंद्र सरकार** को भेजे जाएंगे।

ISO (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

- **ISO का गठन:** केंद्र सरकार कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड की अध्यक्षता में एक ISO का गठन कर सकती है, जिसमें एक संयुक्त सेवा कमान भी शामिल है। इसमें तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में से कम-से-कम दो के कार्मिक होंगे।
- **ISO का प्रबंधन:** केंद्र सरकार में निहित है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या लोक हित के आधार पर निर्देश जारी कर सकती है।
- **कमांडिंग ऑफिसर (CO):** यह अधिनियम एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए प्रावधान करता है जो किसी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की कमान संभालेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना को जारी रखने को मंजूरी दी

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए **संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme)** के तहत **ब्याज छूट घटक** को जारी रखने को मंजूरी दी है। साथ ही, आवश्यक धनराशि को भी स्वीकृति दी गई है।

संशोधित ब्याज छूट योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **उद्देश्य:** किसानों के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड** (KCC) के माध्यम से **कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से **3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर** पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पात्र **ऋण-दाता संस्थानों को 1.5% की ब्याज** छूट दी जाती है।
  - ऋणों को समय पर चुकाने वाले किसानों को **3% तक का 'प्रॉम्प्ट री-पेमेंट इंसेंटिव' यानी 'त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन'** के रूप में अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। इससे **प्रभावी ब्याज दर** कम होकर 4% हो जाती है।
  - केवल **पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज छूट का लाभ 2 लाख रुपये तक के ऋण** पर ही मिलता है।
- **कार्यान्वयन करने वाली संस्था:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।

कृषि क्षेत्रक ऋण में सुधार के अन्य उपाय

- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** इस योजना के तहत **फसल कटाई के बाद की हानि को कम करने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने हेतु खेत के पास ही फसल-भंडारण और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण के लिए मध्यम से दीर्घ अवधि** हेतु ऋण दिया जाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन:** पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, मौजूदा पंपों का सौरीकरण, और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर **30-50% तक की सब्सिडी** प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति** सुनिश्चित करना है।
- **स्वैच्छिक कार्बन बाजार (Voluntary Carbon Market: VCM):** वीरा वीसीएस (Veera VCS) प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत 11 कृषि परियोजनाएँ संधारणीय कृषि को बढ़ावा देती हैं और कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती हैं।

केंद्र ने डार्क पैटर्न को खत्म करने पर हितधारक संवाद आयोजित किया

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए डार्क पैटर्न का विश्लेषण करने और उन्हें हटाने के लिए सेल्फ-ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

डार्क पैटर्न के बारे में

- **परिभाषा:** डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक डिज़ाइन या यूजर इंटरफेस/ यूजर एक्सपीरियंस (UI/UX) तरीके होते हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को जान बूझकर भ्रमित या गुमराह किया जाता है। इससे वे ऐसा निर्णय ले लेते हैं, जो वे वास्तव में नहीं लेना चाहते थे। इससे उपभोक्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने की स्वायत्तता या पसंद प्रभावित होती है।
- इसे एक प्रकार का **भ्रामक विज्ञापन, व्यापार संबंधी अनुचित पद्धति या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन** माना जाता है।

डार्क पैटर्न से निपटने के प्रावधान

- **डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023:** इन्हें **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत जारी किया गया है। इनके तहत **13 विशिष्ट डार्क पैटर्न की पहचान** की गई है और उन्हें विनियमित किया गया है।
- **डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023** के माध्यम से विकसित **उपभोक्ता संरक्षण हेतु टूल्स:**
  - **जागृति ऐप:** यह उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर **डार्क पैटर्न की रिपोर्ट सीधे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को करने में सक्षम** बनाता है।
  - **जागो ग्राहक जागो ऐप:** यह **उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म्स से बचाता है और ई-कॉमर्स लिंक का रियल टाइम सेफ्टी स्कोर** दिखाता है।
  - **जागृति डैशबोर्ड:** यह **एक एनालिटिकल टूल है, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर डार्क पैटर्न का पूरा डेटा और रिपोर्ट तैयार** करता है। यह CCPA **की निगरानी में काम** करता है।

डार्क पैटर्न के प्रकार

फाल्स अर्जेंसी	सेल (उत्पाद बिक्री) से संबंधी मिथ्या जल्दीबाज़ी या सीमित स्टॉक का दिखावा कर ग्राहक को तुरंत खरीदारी के लिए प्रेरित करना।
बास्केट स्नीकिंग	ग्राहक की जानकारी या अनुमति के बिना चेकआउट पर बास्केट में अतिरिक्त सामान जोड़ देना।
कंफर्म शेमिंग	शर्मिंदा करने वाले शब्दों या भावनाओं का इस्तेमाल कर ग्राहक को मना करने से रोकना या उसके निर्णय को अपने अनुकूल करना।
फोर्स्ड एक्शन	ग्राहक पर कोई अतिरिक्त सेवा या सामान लेने के लिए या सब्सक्राइब करने का दबाव बनाना।
सब्सक्रिप्शन ट्रैप	ग्राहक के लिए सब्सक्रिप्शन को रद्द करना जानबूझकर मुश्किल बना देना।
इंटरफेस इंटरफेरेंस	किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाना या किसी कम महत्वपूर्ण चीज को ज्यादा उजागर करना।
बेट एंड स्विच	विज्ञापन किसी अन्य वस्तु या सेवा का करना, लेकिन डिलीवरी में कोई और वस्तु या सेवा देना।
ड्रिप प्राइसिंग	शुरू में सस्ती कीमत दिखाना लेकिन अंतिम भुगतान पर असली कीमत दिखाना।
डिस्गाइज़्ड एडवर्टाइजमेंट (छद्म विज्ञापन)	विज्ञापन को सामान्य कंटेंट या उपयोगकर्ता की समीक्षा की तरह पेश करना।
नैगिंग	बार-बार एक ही अनुरोध या नोटिफिकेशन दिखाकर ग्राहक को परेशान करना।
ट्रिक क्वेश्चंस	उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्यवाहियों में फंसाने के लिए भ्रामक या गुमराह करने वाले प्रश्नों का उपयोग किया जाता है।
SaaS बिलिंग	सब्सक्रिप्शन सेवाओं में प्रच्छन्न शुल्क या जटिल रद्दीकरण प्रक्रिया रखना।
Rogue मैलवेयर	किसी ऐप या अलर्ट को असली सिक्युरिटी मेसेज की तरह दिखाकर हानिकारक सॉफ्टवेयर फैलाना।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि पर चिंता जताई

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने **अप्रैल 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा** जारी की है। इस समीक्षा के अनुसार **वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश, विशेष रूप से FDI में लगभग 12.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि** दर्ज की गई है।

- विदेशों में पूंजी निवेश में **FDI + निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- **भारतीय नजरिये से:** भारत के बाहर के निवासियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में किया गया निवेश FDI माना जाता है:
  - किसी **असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी के माध्यम से निवेश,** या
  - किसी **सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों के जारी होने के बाद फुली डाइल्यूटेड आधार पर पेड अप कैपिटल के 10% या उससे अधिक** का निवेश।
    - **फुली डाइल्यूटेड शेयर** किसी कंपनी के कुल सामान्य शेयरों की संख्या को दर्शाते हैं। इनमें शामिल होते हैं: वर्तमान में शेयर धारकों के पास मौजूद आउट स्टैंडिंग शेयर्स, और वे संभावित शेयर्स, जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस आदि के रूपांतरण से प्राप्त किया जा सकता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** तब होता है, जब कोई कंपनी **किसी दूसरे देश की व्यावसायिक कंपनी में नियंत्रक स्वामित्व** प्राप्त कर लेती है।
  - दूसरी ओर, **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** विदेशी परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी को दर्शाता है लेकिन इसमें **कंपनी के प्रबंधन या स्वामित्व का नियंत्रण** शामिल नहीं होता।
- FDI के माध्यम से विदेशी कंपनियां **केवल पूंजी ही नहीं लाती हैं,** बल्कि अपने साथ **ज्ञान, कौशल और तकनीकें** भी लाती हैं।

भारत से पूंजी बाहर जाने के प्रभाव:

- **नकारात्मक प्रभाव**
  - **भारत में निवेश में कमी आना:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा वर्ष 2024-25 में 6.6 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया; हालांकि 2025-26 में यह घटकर **4.9 लाख करोड़ रुपये** रह गया।
  - **अन्य प्रभाव:** शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, आदि।
- **सकारात्मक**
  - **सॉफ्ट पावर बढ़ाने में सहायक:** अफ्रीकी देशों में निवेश से वहां के लोगों में भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना है।
  - **अन्य प्रभाव:** भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो में विविधता आई है, भारतीय व्यवसायों का विश्व में विस्तार हुआ है, देश में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिला है, आदि।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण:

- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार प्रतिबंधों और टैरिफ में वृद्धि के चलते भारतीय कंपनियां देश में निवेश को लेकर "सतर्क" हो गई हैं।
- **शासन-प्रशासन में खामियां:** भारत और निवेश प्राप्त करने वाले देशों में नियम-कानून में कमियों के कारण भारतीय कंपनियां **सिंगापुर, मॉरीशस और नीदरलैंड** जैसे टैक्स हैवन्स देशों में विदेशी निवेश कर रही हैं।
- **इक्विटी और गारंटी में तेज वृद्धि:** RBI के विदेशी मुद्रा विभाग के अनुसार, भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी सहायक कंपनियों को जारी गारंटियां **विदेशों में उनके व्यवसाय के प्रसार का एक तरीका** बनता जा रहा है।
  - दरअसल भारतीय कंपनियों द्वारा समर्थित गारंटी (विशेष रूप से बैंक गारंटी) की वजह से सहायक कंपनियों के लिए विदेशी संस्थाओं से कर्ज लेना या फंड जुटाना आसान बन जाता है।
- **अन्य कारण:** मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने, अफ्रीका जैसे नए बाजारों में अपनी पकड़ बनाने आदि के लिए भी विदेशों में पूंजी निवेश किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ने "आपदा जोखिम न्यूनीकरण (GAR) पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट, 2025" जारी की

इस रिपोर्ट का शीर्षक है "**रेसिलिएंस पेज़: फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फ्यूचर**"। यह रिपोर्ट बताती है कि जोखिम को ध्यान में रखकर किया गया निवेश कैसे कर्ज, बीमा न होने के कारण होने वाले नुकसान, और मानवीय जरूरतों को कम कर सकता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **आपदाओं की लागत बढ़ रही है:** हर साल आपदाओं से होने वाला कुल नुकसान अब 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इनमें से ज्यादातर नुकसान बीमाकृत नहीं हैं, यहां तक कि विकसित देशों में भी यही स्थिति है।
- **विकासशील देशों की उच्च सुभेद्यता:** 2023 तक, केवल 49% अल्प विकसित देशों (LDCs) के पास बहु-जोखिम की शुरुआती चेतावनी प्रणाली थी।
- **रोकथाम में कम निवेश:** विकास सहायता का केवल 2% ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर खर्च किया जाता है, जबकि DRR में प्रत्येक 1 डॉलर का निवेश 15 डॉलर की पुनः स्थापना लागत बचाता है। फिर भी ज्यादातर धन आपदा के बाद की मदद में खर्च होता है।
- **भारत के संबंध में निष्कर्ष:**
  - **गंभीर अवसंरचना क्षति:** 2019 में आए चक्रवात फेनी ने ओडिशा में बिजली से जुड़ी अवसंरचना को करीब 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था।
  - **बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन:** जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण भारत में 10 से 30 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यह देश की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
  - **जीवन स्तर:** कृषि और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले बदलते मौसम पैटर्न से 2050 तक जीवन स्तर में 9% की गिरावट आ सकती है।
  - **कम बीमा कवरेज:** भारत में आपदाओं से बचाव के लिए बीमा कवरेज 1% से भी कम है, इससे जोखिम को साझा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-30)

- यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005–2015) का अगला कदम (उत्तराधिकारी साधन) है।
- इसका उद्देश्य **नई आपदाओं के खतरे को रोकना और पहले से मौजूद जोखिमों को कम** करना है। इसके लिए इसमें **सात स्पष्ट लक्ष्य और चार प्रमुख कार्य प्राथमिकताएँ** बताई गई हैं।
- **फ्रेमवर्क की प्राथमिकताएं:**
  - आपदा जोखिम को समझना और आपदा जोखिम गवर्नेंस को मजबूत करना।
  - पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में "बिल्ड बैक बैटर"।

IBBI ने IBBI (इनसॉल्वेंसी रेसोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉरपोरेट पर्सनल) विनियम, 2016 में संशोधन को अधिसूचित किया

इसका उद्देश्य हितधारक के प्रतिनिधित्व में सुधार करना, अनुपालन को सरल बनाना और समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI) द्वारा संशोधन

- **कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के लिए संशोधित फॉर्म: इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs) पर अनुपालन बोझ** कम होगा और एक मानकीकृत मासिक रिपोर्टिंग चक्र शुरू किया जाएगा।
  - CIRP क्या है?
    - यह एक प्रक्रिया है, जिसमें देखा जाता है कि डिफॉल्टर (ऋण नहीं चुकाने वाली) कंपनी अपना ऋण चुकाने में सक्षम है या नहीं। अगर नहीं है, तो कंपनी को पुनर्गठित किया जाता है या परिसमापन (लिक्विडेशन) किया जाता है।
    - **कौन शुरू कर सकता है CIRP?**
      - » **फाइनेंशियल क्रेडिटर,**
      - » **ऑपरेशनल क्रेडिटर,**
      - » **या स्वयं कंपनी।**
- **रेजोल्यूशन प्लान में लोचशीलता: रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को न केवल संपूर्ण कंपनी के लिए बल्कि इसकी एक या अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री** के लिए भी रेजोल्यूशन प्लान आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है।
  - **इससे अलग-अलग क्षेत्रकों में परिसंपत्तियां** रखने वाली कंपनियों का रेजोल्यूशन आसान होगा तथा **क्षेत्रक-विशिष्ट खरीदार भी मिल सकेंगे।**
  - **ऋणदाताओं की समिति (CoC),** रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को निर्देश दे सकती है कि वह **अंतरिम वित्त प्रदाताओं को मतदान के अधिकार के बिना, पर्यवेक्षक** के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करे।
- **इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए दिशा-निर्देश:** 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए एक साझा क्षेत्रवार (zone-wise) पैनल बनाया जाएगा, ताकि NCLT (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण) और DRT (ऋण वसूली अधिकरण) में इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs) की नियुक्तियों में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड (IBC), 2016 के बारे में

- यह भारत में सभी संस्थाओं जैसे **कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों के इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन** के लिए एक **अम्ब्रेला कानून** है।
- IBC के चार स्तंभ:
  - **इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसियां:** शोधन अक्षमता (इनसॉल्वेंसी), परिसमापन और दिवाला (बैंक्रप्टसी) प्रक्रिया का प्रबंधन करती हैं।
  - **इनफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ (IUs):** उधारदाताओं और उधार देने की शर्तों के बारे में तथ्य संग्रहित करते हैं।
  - **न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (AA): कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)** और व्यक्तिगत इनसॉल्वेंसी के लिए **ऋण वसूली अधिकरण (DRT)।**
    - 2 अपीलीय प्राधिकरण- **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) और भारत का सुप्रीम कोर्ट।**
  - **IBBI:** यह **विनियामक** के रूप में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनियमन निर्धारित करता है।

अन्य सुर्ख़ियां

बैटरी आधार

हाल ही में, **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** के तहत **बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार पहल** शुरू की गई।

- **टाटा एलेक्सी ने अपने मोबियस+ प्लेटफॉर्म** पर निर्मित बैटरी आधार का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रस्तुत किया। यह एक **डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट के रूप में कार्य करता है,** जिससे बैटरी संबंधी विशेषताओं को रियल टाइम में दर्ज करता है।

बैटरी आधार पहल के बारे में

- इसके अंतर्गत **प्रत्येक बैटरी पैक को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान** दी जाएगी।
- **लाभ:**
  - **बैटरी का स्रोत** (मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन), केमिस्ट्री, सुरक्षा सर्टिफिकेशन और लाइफ-साइकल प्रदर्शन को ट्रैक किया जा सकेगा।
  - **चार्ज-डिस्चार्ज साइकिल** जैसे जरूरी मापदंडों की निगरानी होगी, जिससे **पूर्वानुमान आधारित रखरखाव** और **कुशल रिसाइकलिंग** संभव होगी।
  - **यह नकली उत्पादों** के प्रसार को रोकने, **उपभोक्ता विश्वास को** बढ़ाने और **सर्कुलर इकोनॉमी संबंधी** पहलों का समर्थन करने के लिए एक **विनियामक साधन के रूप में कार्य करेगा।**

डार्क फैक्ट्रियां

हाल ही में, TCS के चेयरमैन ने IT और बिजनेस सेवाओं में '**डार्क फैक्ट्रियों**' के **भविष्य की संभावनाओं** पर प्रकाश डाला है।

डार्क फैक्ट्री के बारे में

- **इन्हें लाइट्स-आउट फैक्ट्रियों** के नाम से भी जाना जाता है। **ये पूरी तरह से स्वचालित फैसिलिटी होती हैं** जहां रोबोट, AI-संचालित प्रणालियां और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) डिवाइस सभी उत्पादन प्रक्रियाओं को संभालते हैं।
- इन्हें बिना किसी **मानवीय हस्तक्षेप के 24/7 संचालित करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए फैन्युक (जापान), सीमेंस (जर्मनी)।
- **लाभ:** इसमें **कार्यकुशलता में वृद्धि, लागत में कमी,** बेहतर **स्केलेबिलिटी, श्रम से संबंधित मुद्दों जैसे कार्यबल का अभाव,** कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर कम चिंता आदि शामिल हैं।
- **चुनौतियां:** इसमें **उच्च प्रारंभिक और रखरखाव लागत,** फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, नौकरी का नुकसान, तकनीकी खराबियों से उत्पादन बाधित होना, **साइबर सुरक्षा** जोखिम आदि शामिल हैं।

बो इको (Bow Echo)

दिल्ली में हाल ही में आए तेज़ तूफान ने एक अजीब आकृति ली जो कि आधे चाँद या तीर-कमान जैसी दिखती थी, जिसे "बो इको (Bow Echo)" कहा जाता है।

बो इको के बारे में

- यह एक रडार पर दिखने वाला सिग्नल होता है, जो यह बताता है कि बहुत तेज हवाओं वाला तूफान आ रहा है। जब तेज हवाएं तूफान की रेखा (storm line) के बीच के हिस्से को आगे की तरफ धकेलती हैं, तो वह धनुष (bow) जैसी आकृति बना लेती है।
- यह मूलतः तूफानों की रेखा (इसे स्क्वॉल लाइन भी कहा जाता है) रडार पर धनुष की तरह दिखती है।
- यह आमतौर पर कई तूफानों के समूह से बनता है, लेकिन कभी-कभी एक अकेले शक्तिशाली सुपरसेल तूफान से भी शुरू हो सकता है।
- यह भविष्य में आने वाले और विनाशकारी तूफानों का संकेत हो सकता है।
- बो इको 20 किमी से 100 किमी तक विस्तारित हो सकता है, तथा तीन से छह घंटे तक सक्रिय रह सकता है।

WMO वैश्विक वार्षिक से दशकीय क्लाइमेट अपडेट 2025-2029

विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यू.के. मौसम विज्ञान कार्यालय ने WMO वैश्विक वार्षिक से दशकीय क्लाइमेट अपडेट 2025-2029 जारी किया।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- वर्षण के पैटर्न एशिया, भारत और उप-सहारा अफ्रीका में सामान्य से अधिक आर्द्र स्थिति को दर्शाते हैं।
- 86% संभावना यह है कि अगले पांच वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष का तापमान 1850-1900 के औसत से 1.5°C अधिक होगा।
- मानसून में वार्षिक आधार पर अत्यधिक परिवर्तनशीलता। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में असामान्य रूप से अधिक वर्षा हुई है और पूर्वानुमान के अनुसार, यह प्रवृत्ति 2025-2029 की अवधि तक जारी रहेगी।

पद्म पुरस्कार

कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों (अप्रैल में प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान 71 और मई में दूसरे समारोह में 68) को राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

पद्म पुरस्कारों के बारे में

- ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
- यह कोई उपाधि नहीं है। इनका प्रयोग पुरस्कार विजेता अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं कर सकते हैं।
- 1954 में स्थापित, वर्ष 1978, 1979 और 1993-1997 के दौरान व्यवधानों को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों का वितरण 1954 में आरंभ किया गया था। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती हैं। 1978, 1979 और 1993-1997 में इन्हें कुछ वर्षों के लिए नहीं दिया गया था।
- इसमें 3 श्रेणियां शामिल हैं:
  - पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
  - पद्म भूषण: उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए;
  - पद्मश्री: विशिष्ट सेवा के लिए।
- पात्रता: सभी नागरिक पात्र हैं (सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होते, केवल डॉक्टर और वैज्ञानिकों को इसके अपवाद के रूप में शामिल किया गया है)।
- पुरस्कारों की सिफारिश हर साल प्रधान मंत्री द्वारा गठित "पद्म पुरस्कार समिति" करती है।
- पुरस्कारों की कुल संख्या: कुल पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती (मरणोपरांत, प्रवासी भारतीयों, विदेशियों और OCI को दिए गए पुरस्कारों की संख्या को छोड़कर)।

कालानमक चावल

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'कालानमक चावल' (जिसे 'बुद्ध चावल' भी कहा जाता है) को बौद्ध बहुल देशों में निर्यात करने की योजना बनाई है।

कालानमक चावल के बारे में

- इसे 2013 में GI टैग मिला था।
- यह एक परंपरागत, खुशबूदार, गैर-बासमती किस्म है और पौष्टिकता से भरपूर है।
- यह मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर सिद्धार्थनगर जिले में उगाई जाती है। इसे एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के तहत भी मान्यता प्राप्त है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा दुनिया के ख़ास चावल किस्मों में शामिल किया गया है।
- चावल की इस किस्म को बौद्ध काल (600 ईसा पूर्व) से उगाया जा रहा है। अलीगढ़वा खुदाई में इसके दाने मिले हैं।

कुंभकोणम वेट्रिलाई

कुंभकोणम वेट्रिलाई (या पान के पत्ते) को हाल ही में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया गया है, जो इसकी क्षेत्रीय विशेषता और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है।

- अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा GI टैग वाले उत्पाद हैं, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है।

कुंभकोणम वेट्रिलाई के बारे में

- यह मुख्य रूप से तंजावुर के उपजाऊ कावेरी नदी बेसिन के कुंभकोणम क्षेत्र में उगाया जाता है, जिससे इसमें से एक खास स्वाद और खुशबू आती है।
- विशेषताएं: यह पत्ते गहरे से हल्के हरे रंग के, हृदय के आकार के होते हैं और इनका स्वाद तीखा होता है।
- पान के पत्ते पाचन में मदद करते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं।
- इनमें चेविकोल नामक एक एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन रोधी) तत्व पाया जाता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। यह डायबिटीज जैसी बीमारियों में आम होता है।

भारत-जर्मनी संबंध

भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

भारत और जर्मनी के मध्य संबंधों के बारे में

- राजनयिक संबंध: भारत प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ संबंध स्थापित करने वाले आरंभिक देशों में शामिल था।
- रणनीतिक साझेदारी: वर्ष 2000 से शुरू हुई।
- आर्थिक संबंध: जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - हरित विकास: जर्मनी ने भारत-जर्मन हरित एवं संधारणीय विकास साझेदारी (GSDP) के तहत, भारत के ग्रीन ट्रांजिशन को समर्थन देने के लिए 10 बिलियन यूरो के ऋण और अनुदान देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।
- वैश्विक सहयोग: भारत और जर्मनी G-4 समूह के तहत मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों का समर्थन करते हैं।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

विनायक दामोदर सावरकर (1883 - 1966)

हाल ही में प्रधान मंत्री ने श्री विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीर सावरकर के बारे में

- इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित भागूर गांव में हुआ था।

प्रमुख योगदान

- क्रांतिकारी राष्ट्रवाद: उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसायटी की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया।
- प्रवासी भारतीयों को संगठित करना: 1906 में विदेशों में भारतीय छात्रों को संगठित करने के लिए लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
- साहित्यिक कृति: उन्होंने 1857 की क्रान्ति पर " प्रथम स्वतंत्रता संग्राम " की रचना की।
- कारावास और बलिदान: 1910 में बम्बई में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ष का कठोर कारावास था।
- सामाजिक सुधार: उन्होंने अस्पृश्यता का सक्रिय रूप से विरोध किया।
  - उन्होंने पतित-पावन मंदिर का निर्माण कराया, जहां दलितों को पुजारी नियुक्त किया गया।
- राष्ट्रीय एकता का समर्थन: हिंदू महासभा के अध्यक्ष (1937-1944) के रूप में, उन्होंने क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना के दौरान ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक वार्ता में भाग लिया।